

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 156B/2015-16

शंकर महतो बनाम पूर्ण चन्द्र महतो


:: आदेश ::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
--------	---------------------------------	-----------

31-07/18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता शंकर महतो, पिता देवी लाल महतो, ग्राम-सिंगाडीह, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता पूर्णचन्द्र महतो पिता रईबु महतो, ग्राम-लोसोदिकी, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। परंतु प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।